रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240977 CG-DL-E-10122022-240977

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5537] No. 5537] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10, 2022/अग्रहायण 19, 1944 NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 2022/AGRAHAYANA 19, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

[संख्या 105/2022 - सीमाश्ल्क (गै.टै.)]

का.आ. 5773(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (34) के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1क), (4) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना संख्या 26/2022-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे का.आ. 1542 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (xxvii) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:--

(3)

"(xxviia) धारा 84 (पोस्टल गूड्स से संबन्धित प्रविष्टियों का पुन: आंकलन)";

8231 GI/2022 (1)

(ii) क्रम संख्या 5 में, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (xx) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3) "(xxa) धारा 84 (आंकलन) (xxb) धारा 84 (क्लियरेंस) ";

(iii) क्रम संख्या 7 में, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (vii) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3) "(viia) धारा 84 (परीक्षण)".

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV)]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2022- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 मार्च, 2022, को दिनांक 4 अप्रैल, 2022 के शुद्धिपत्र जिसे का.आ. 1601 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के साथ पठित का.आ. 1542 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 61/2022- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 जुलाई, 2022, जिसे का.आ. 3186 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

[No.105/2022-Customs (N.T.)]

S.O. 5773(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1A), (4) and (5) of Section 5 read with sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 26/2022-Customs (N.T.), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1542(E), dated the 31st March, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) in Sr. No.3, in column (3), after the entry (xxvii), the following entry shall be inserted, namely:--

(3)
"(xxviia) Section 84 (Re-assessment of entries relating to postal goods)";

(ii) in Sr. No.5, in column (3), after the entry (xx), the following entries shall be inserted, namely:-

(3)
"(xxa) Section 84 (assessment)
(xxb) Section 84 (clearance)";

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

(iii) in Sr. No.7, in column (3), after the entry (vii), the following entry shall be inserted, namely :-

(3)
"(viia) Section 84 (examination)".

2. This notification shall come in force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH R ATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note : The principal notification no. 26/2022-Customs (N.T) dated the 31st March, 2022 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1542(E), dated the 31st March, 2022, read with corrigendum dated the 4th April, 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1601 (E) dated the 4th April, 2022 and was amended, vide notification no. 61/2022-Customs (N.T.) dated the 14th July, 2022 and published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3186(E), dated the 14th July, 2022.